संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / पन्ना / 2019 / 3179 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

डॉ. एल.के. तिवारी,
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –पन्ना म.प्र. ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र. ।

विषय:–डॉ. एल.के. तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र., को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत **कारण बताओ सूचना पत्र** ।

यह कि आप डॉ. एल.के. तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना में पदस्थ हैं।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फर्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,44,88,619 / – का बजट स्वीकृत किया गया था ।

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120 / – प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 17 वर्टीकल ऑटोक्लेव का क्रय आदेश रूपये 244968 / – प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से जारी किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848 / – प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश देने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 4,73,416 / – अधिक का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं संबंधित स्टोर कीपर से समान रूप से उत्तरदायी है ।

यह कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के अनुसार आपके द्वारा जारी क्रयादेश के विरूद्ध संबंधित फर्म द्वारा उपकरण डिस्पेच कर दिये गये है । इसलिए क्रयादेश इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में निर्धारित प्रक्रियानुसार इस स्तर पर निरस्त नहीं हो सकते है । ऐसी स्थिति में जिले हेतु उपकरण प्राप्त होने पर फर्म को भुगतान किया जाना होगा ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 4,73,416 / – की आधी राशि रूपये 236708 / – की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

.....2

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/पन्ना/2019/3180. भोपाल दिनांक 15/11/19.

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला पन्ना म.प्र.।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. एल.के. तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पन्ना म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / छतरपुर / 2019 / 3178 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

श्री अविनाश पटैरिया,
स्टोर कीपर,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –छतरपुर म.प्र. ।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र. ।

विषय:–श्री अविनाश पटैरिया, स्टोर कीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत **कारण बताओ सूचना पत्र** ।

यह कि आप श्री अविनाश पटैरिया, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर में पदस्थ हैं।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फर्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,86,59,897 / – का बजट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के लिए स्वीकृत किया गया था !

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120 / – प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 22 वर्टीकल ऑटोक्लेव रूपये 244968 / – प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से क्रय आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848 / – प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 6,12,656 / – अधिक का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समान रूप से उत्तरदायी है ।

यह कि जिले में क्रयादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण प्राप्त हो चुके है एवं उनके भुगतान भी किये गये है । आपके द्वारा गलत प्रस्तुतीकरण करने के कारण निर्धारित मापदण्ड से उच्च मापदण्ड के उपकरण क्रय कर लिये गये है । जिससे शासन को राशि रूपये 6,12,656 / – की हानि हुई है ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 6,12,656 / – की आधी राशि रूपये 3,06,328 / – की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

.....2

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/छतरपुर/2019/3178 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपी– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति श्री अविनाश पटैरिया, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय छतरपुर म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ति ।

आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / पन्ना / 2019 / 3175 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

श्री राजेश तिवारी,
स्टोर कीपर,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –पन्ना म.प्र. ।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही– श्री राजेश तिवारी, स्टोर कीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र., **कारण बताओ सूचना पत्र** ।

यह कि आप श्री राजेश तिवारी, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना में पदस्थ हैं।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फर्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,44,88,619 / – का बजट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के लिए स्वीकृत किया गया था ।

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120 / – प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 17 वर्टीकल ऑटोक्लेव का क्रय आदेश राशि रूपये 244968 / – प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848 / – प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 4,73,416 / – का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समान रूप से उत्तरदायी है ।

यह कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के अनुसार जिले द्वारा जारी क्रयादेश के विरूद्ध संबंधित फर्म द्वारा उपकरण डिस्पेच कर दिये गये है । इसलिए क्रयादेश इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में निर्धारित प्रक्रियानुसार इस स्तर पर निरस्त नहीं हो सकते है । ऐसी स्थिति में जिले हेतु उपकरण प्राप्त होने पर फर्म को भुगतान किया जाना होगा ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 4,73,416 / – की आधी राशि रूपये 2,36,708 / – की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / पन्ना / 2019 / 3176 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला पन्ना म.प्र.।
4. संयुक्त / उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति श्री राजेश तिवारी, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पन्ना म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / छतरपुर / 2019 / 3181 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

डॉ. विद्यासागर बाजपेयी,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –छतरपुर म.प्र. ।
वर्तमान में–चिकित्सा विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, पन्ना,

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।

विषय:–डॉ. विद्यासागर बाजपेयी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र., को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत **कारण बताओ सूचना पत्र** ।

यह कि आप डॉ. विद्यासागर बाजपेयी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर में पदस्थ थे।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फर्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,86,59,897/– का बजट स्वीकृत किया गया था ।

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120/– प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 22 वर्टीकल ऑटोक्लेव का क्रय आदेश राशि रूपये 244968/– प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से जारी किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848/– प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश देने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 6,12,656/– अधिक का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं संबंधित स्टोर कीपर से समान रूप से वसूली उत्तरदायी है ।

यह कि जिले में क्रयादेश अनुसार जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण प्राप्त हो चुके है एवं उनके भुगतान भी किये गये है । आपके द्वारा निर्धारित मापदण्ड से उच्च मापदण्ड के उपकरण क्रय कर लिये गये है । जिससे शासन को राशि रूपये 6,12,656/– की हानि हुई है ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 6,12,656/– की आधी राशि रूपये 3,06,328/– की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/छतरपुर/2019/3182 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला पन्ना/छतरपुर म.प्र.।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. विद्यासागर बाजपेयी तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना/छतरपुर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पन्ना/छतरपुर म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

रजिस्टर्ड ए.डी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./ डीई–2/2019/3186 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

डॉ.डी.पी.सिंह,
निलंबित शल्य किया विशेषज्ञ
तत्कालीन सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद
मध्यप्रदेश

वर्तमान में– मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।

द्वारा:– **क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।**

विषय:– आपके विरूद्व संस्थित विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी डॉ.राधावल्लभ शर्मा विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण किये गये जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन शीघ्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ:– जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन क्रमांक 351 दिनांक 13.08.2019 तथा संचालनालय का पत्र क्रमांक 4/शिका/डीई–2/2.19/2423, दिनांक 26.08.2019.

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विभागीय जांचकर्ता अधिकारी, श्री राधावल्लभ शर्मा, विभागीय जांच अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म.प्र. से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लेने के पूर्व प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति आपकी ओर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन पर आप अपना अभ्यावेदन समय–सीमा 15 दिवस में संचालनालय को प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जा सके किन्तु आपसे आज दिनांक तक उक्त जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः उक्त संबंध में लेख है कि प्रकरण में जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन देने हेतु आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुये 03 दिवस का समय देते हुये निर्देशित किया जाता है कि यदि वर्णित समयावधि में चाहा गया अभ्यावेदन आपकी ओर से समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आप जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन से सहमत हैं, प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा।

(डॉ.विनोदकुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमा 4/शिका/सेल–डीई–2/2019/ भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:–

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर भेजकर लेख है कि डॉ.डी.पी.सिंह को उक्त पत्र की तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट/पावती तत्काल संचालनालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2019/ 3173 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

डॉ.दिनेशचन्द्र सिंघी,
विभागीय जांच अधिकारी,
(सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी),
राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो,
जे.पी.चिकित्सालय परिसर, म.प्र. भोपाल।

विषयः–डॉ.अनुसुइया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः–संचालनालयका आदेश क्रमांक 4/शिका/सेल–5/फा.नं. 62/राजगढ/2018/234,दिनांक 10.01.2019, स्मरण पत्र क्रमांक 4/शिका/डीई–2/2019/820, दिनांक 11.03.2019 तथा स्मरण पत्र क्रमांक 1633, दिनांक 10.06.2019

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश तथा स्मरण पत्रों का अवलोकन करें। डॉ.अनुसुइया गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ के विभागीय जांच प्रकरण में आपको जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा जांच प्रतिवेदन एक माह की समय सीमा में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु आपसे डॉ.अनुसुईया गवली की विभागीय जांच का जांच प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित है। जिसके कारण संबंधित के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य आयुक्त महोदय द्वारा विभागीय जांच प्रकरणों की सतत समीक्षा की जा रही है।

अतः आप प्रकरण में व्यक्तिगत रूंचि लेते हुये जांच प्रतिवेदन 15 दिवस की समयावधि में निश्चित रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14/11/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र/4/शिका./डीई–2/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि,

उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय में डॉ.अनुसुइया गवली के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच की संधारित नस्ती/अभिलेख प्राप्त करे तथा जांचकर्ता अधिकारी से तत्काल संपर्क कर प्रकरण में अविलम्ब कार्यवाही करें। यदि प्रकरण में आपके द्वारा समयावधि में कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रकरण में हो रहे विलंब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / पन्ना / 2019 / 3175 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

श्री राजेश तिवारी,
स्टोर कीपर,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –पन्ना म.प्र. ।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही– श्री राजेश तिवारी, स्टोर कीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र., कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप श्री राजेश तिवारी, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना में पदस्थ हैं।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फर्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,44,88,619 / – का बजट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के लिए स्वीकृत किया गया था ।

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120 / – प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 17 वर्टीकल ऑटोक्लेव का क्रय आदेश राशि रूपये 244968 / – प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848 / – प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 4,73,416 / – का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समान रूप से उत्तरदायी है ।

यह कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के अनुसार जिले द्वारा जारी क्रयादेश के विरूद्ध संबंधित फर्म द्वारा उपकरण डिस्पेच कर दिये गये है ! इसलिए क्रयादेश इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में निर्धारित प्रक्रियानुसार इस स्तर पर निरस्त नहीं हो सकते है । ऐसी स्थिति में जिले हेतु उपकरण प्राप्त होने पर फर्म को भुगतान किया जाना होगा ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 4,73,416 / – की आधी राशि रूपये 2,36,708 / – की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/पन्ना/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला पन्ना म.प्र.।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति श्री राजेश तिवारी, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पन्ना म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / छतरपुर / 2019 / 3177 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

श्री अविनाश पटैरिया,
स्टोर कीपर,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –छतरपुर म.प्र. ।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र. ।

विषय:–श्री अविनाश पटैरिया, स्टोर कीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत **कारण बताओ सूचना पत्र** ।

यह कि आप श्री अविनाश पटैरिया, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर में पदस्थ हैं।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फ़र्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,86,59,897 / -- का बजट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के लिए स्वीकृत किया गया था ।

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120 / – प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 22 वर्टीकल ऑटोक्लेव रूपये 244968 / – प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से क्रय आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848 / – प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 6,12,656 / – अधिक का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समान रूप से उत्तरदायी है ।

यह कि जिले में क्रयादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण प्राप्त हो चुके है एवं उनके भुगतान भी किये गये है । आपके द्वारा गलत प्रस्तुतीकरण करने के कारण निर्धारित मापदण्ड से उच्च मापदण्ड के उपकरण क्रय कर लिये गये है । जिससे शासन को राशि रूपये 6,12,656 / – की हानि हुई है ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 6,12,656 / – की आधी राशि रूपये 3,06,328 / – की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

.....2

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/छतरपुर/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति श्री अविनाश पटैरिया, स्टोर कीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय छतरपुर म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / पन्ना / 2019 / 3179 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

डॉ. एल.के. तिवारी,
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –पन्ना म.प्र. ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र. ।

विषय:–डॉ. एल.के. तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र., को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत **कारण बताओ सूचना पत्र** ।

यह कि आप डॉ. एल.के. तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना में पदस्थ हैं।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फर्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,44,88,619/– का बजट स्वीकृत किया गया था ।

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120/– प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 17 वर्टीकल ऑटोक्लेव का क्रय आदेश रूपये 244968/– प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से जारी किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848/– प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश देने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 4,73,416/– अधिक का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं संबंधित स्टोर कीपर से समान रूप से उत्तरदायी है ।

यह कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के अनुसार आपके द्वारा जारी क्रयादेश के विरूद्ध संबंधित फर्म द्वारा उपकरण डिस्पेच कर दिये गये है । इसलिए क्रयादेश इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में निर्धारित प्रक्रियानुसार इस स्तर पर निरस्त नहीं हो सकते है । ऐसी स्थिति में जिले हेतु उपकरण प्राप्त होने पर फर्म को भुगतान किया जाना होगा ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 4,73,416/– की आधी राशि रूपये 236708/– की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

.....2

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/पन्ना/2019/3180 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला पन्ना म.प्र.।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. एल.के. तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पन्ना म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / छतरपुर / 2019 / 3 181 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

डॉ. विद्यासागर बाजपेयी,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला –छतरपुर म.प्र. ।
वर्तमान में–चिकित्सा विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, पन्ना,

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।

विषयः–डॉ. विद्यासागर बाजपेयी, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र., को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत **कारण बताओ सूचना पत्र** ।

यह कि आप डॉ. विद्यासागर बाजपेयी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर में पदस्थ थे।

यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेटरनिटी विंग के डिलीवरी पाइंटस हेतु उपकरण, औजार एवं फर्नीचर के उपार्जन हेतु आर.ओ.पी. में एक्टीविटी कोड 6.1.1.1. बी.,सी. एवं डी. अन्तर्गत आपके जिले के लिये लगभग 34 प्रकार की सामग्री हेतु कुल राशि रूपये 1,86,59,897 / – का बजट स्वीकृत किया गया था ।

यह कि उक्त स्वीकृत बजट राशि में से सामग्री का उपार्जन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक 2841 दिनांक 22.12.18 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण औजार एवं फर्नीचर का क्रय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोशन लि. द्वारा निर्धारित दरों पर करने के निर्देश के साथ ही सामग्री एवं उनकी दरों की सूची प्रेषित की गई थी ।

यह कि उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सामग्री दरों की सूची में वर्टीकल ऑटोक्लेव हेतु राशि रूपये 217120 / – प्रति ऑटोक्लेव की निर्धारित दर के विरूद्ध आपके द्वारा 22 वर्टीकल ऑटोक्लेव का क्रय आदेश राशि रूपये 244968 / – प्रति वर्टीकल ऑटोक्लेव की दर से जारी किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा राशि रूपये 27848 / – प्रति ऑटोक्लेव अधिक का क्रयादेश देने के परिणामस्वरूप कुल राशि रूपये 6,12,656 / – अधिक का क्रयादेश दिया गया है । शासन को हुई उक्त हानि के लिए आप एवं संबंधित स्टोर कीपर से समान रूप से वसूली उत्तरदायी है ।

यह कि जिले में क्रयादेश अनुसार जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण प्राप्त हो चुके है एवं उनके भुगतान भी किये गये है । आपके द्वारा निर्धारित मापदण्ड से उच्च मापदण्ड के उपकरण क्रय कर लिये गये है । जिससे शासन को राशि रूपये 6,12,656 / – की हानि हुई है ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(3) के अन्तर्गत उक्त हानि रूपये 6,12,656 / – की आधी राशि रूपये 3,06,328 / – की वसूली आपसे की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/छतरपुर/2019/3182 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला पन्ना/छतरपुर म.प्र.।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. विद्यासागर बाजपेयी तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना/छतरपुर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पन्ना/छतरपुर म.प्र. ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

रजिस्टर्ड ए.डी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./ डीई–2/2019/3188 भोपाल दिनांक 15/11/19

प्रति,

श्री कैलाश बाबू वर्मा,
ड्रेसर सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
शाजापुर म.प्र.।

द्वारा:– **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर।**

विषय:– आपके विरूद्व संस्थित विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी, श्री दिनेश चंद्र सिंघी विभागीय जांच अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश द्वारा जांच पूर्ण किये गये जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन शीघ्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ:– जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 30.09.2019.

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत विभागीय जांचकर्ता अधिकारी, श्री दिनेश चन्द्र सिंघी विभागीय जांच अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लेने के पूर्व प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति आपकी ओर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन पर आप अपना अभ्यावेदन समय–सीमा 15 दिवस में संचालनालय को प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

पत्र में वर्णित समयावधि में चाहा गया अभ्यावेदन आपकी ओर से समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह कि आप जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन से सहमत हैं, मानकर प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदन।

15/11/19
(डॉ.विनोदकुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 4/शिका/सेल–डीई–2/2019/ भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:–

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल की ओर भेजकर लेख है कि डॉ.कैलाश बाबू वर्मा, को जांच प्रतिवेदन की तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट/पावती तत्काल संचालनालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए भोपाल (म.प्र.)

विभागीय जांच / प्रकरण कमांक / .....

मध्य प्रदेश शासन

विरूद्ध

श्री कैलाश बाबू वर्मा
(ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
शाजापुर म0प्र0

(जांच प्रतिवेदन दिनांक 30/9/2019)

संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा श्री कैलाश बाबू वर्मा, ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र कमांक 4 / शिका. / सेल–7 / शाजापुर / 2017 / 801 भोपाल दिनांक 09–05–2017 के द्वारा श्री कैलाश बाबू वर्मा, ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहे गये थे।

श्री कैलाश बाबू वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक नही पाया जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया जाने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य आयुक्त म0प्र0 के आदेशानुसार उप संचालक (शिकायत) संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश कमांक 4 / शिका / सेल–7 / फा.नं.59 / शाजापुर / 2017 / 1835 दिनांक 16–11–2017 के द्वारा श्री कैलाश बाबू वर्मा, ड्रेसर, सह क्रय एव स्टोर प्रभारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाए उज्जैन संभाग उज्जैन को विभागीय जांच अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

तत्पश्चात स्वास्थ्य आयुक्त म0प्र0 के आदेशानुसार संयक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश कमाक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 / 1438 भोपाल दिनांक 04–08–2018 द्वारा श्री कैलाश बाबू वर्मा, ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच के प्रकरण में जांच अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश कमांक 4 / शिका / सेल–7 / फा.नं.59 / शाजापुर / 2017 / 1835 दिनांक 16–11–2017 में आंशिक संशोधन करते हुये विभागीय जांच अधिकारी क्षेत्रीय संचालक

स्वास्थ्य सेवाए उज्जैन संभाग उज्जैन के स्थान पर मुझे (दिनेश चन्द्र सिंघी सेवा निवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी) को जांच अधिकारी नियुक्त किया है तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी पूर्ववत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर को रखा गया है।

मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत विभागीय जांच की गई और पेश किये गये दस्तावेजों तथा साक्षियों के कथनों के आधार पर यह जांच रिपोट तैयार की गई।

अपचारी सेवक श्री कैलाश बाबू वर्मा, ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर विभागीय जांच के प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहे।

विभागीय जांच की प्रक्रिया अन्तर्गत अपचारी सेवक को उस पर अधिरोपित आरोप पढकर सुनाये गये। अपचारी सेवक द्वारा आरोपों को अस्वीकार किया तदपुपरांत विधिवत जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 साक्षी में से सभी 03 साक्षी–(1) आर0बी0 धाकड जिला कोषालय अधिकारी शाजापुर (2) श्री रविन्द्र श्रीवास्तव सहायक ग्रेड–2 कलेक्टर कार्यालय शाजापुर (3) डॉ श्रीमती अनुसूया गवली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर पेश किये गये। उन्हे क्रमशः P/W 1, P/W 2, P/W 3, से चिन्हित किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से अपचारी सेवक श्री कैलाश बाबू वर्मा, ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के कथन अंकित कराये है।

प्रयोग किये गये दस्तावेजो को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है:–

(1) कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक/स्था 4–1/2017/77 दिनांक 22–02–2017 के माध्यम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल को प्रेषित जाच प्रतिवेदन को D/1,

(2) जिला कोषालय अधिकारी शाजापुर द्वारा पत्र कमांक 189 दिनांक 21–02–2017 से कलेक्टर जिला शाजापुर को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन को D/2,

(3) दिनांक 28–03–2015 एवं 02–07–2015 क्रय संबंधी नोटशीट पर कुल 53 औषधी/उपकरण एवं अन्य सामग्री के क्रय आदेश बजट की प्रत्यासा में जारी किये गये निर्देश को D/3,

(4) मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम की वित्त संहिता भाग–एक के नियम 119 की प्रति को D/4,

(5) दिनांक 30–05–2015 के माध्यम से म0प्र0 राज्य सहकारी संघ जिला इन्दौर को सामग्रियों के क्रय हेतु जारी आदेश को D/5, से चिन्हित किया गया है।

अपचारी सेवक श्री कैलाश बाबू, वर्मा, पर कुल 02 आरोप अधिरोपित किये गये है।

प्रत्येक आरोप के संबंध में अधिरोपित आरोप पद तथा इन आरोपों के संबंध में अवचार या कदाचार का विवरण, अपचारी सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद, अभियोजन पक्ष (प्रस्तुत कर्ता अधिकारी) द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों और अभियोजन साक्षियों के कथन, अपचारी सेवक द्वारा प्रस्तुत बचाव दस्तावेजों ओर बचाव साक्षियों के कथनों तथा अभियोजन पक्ष व अपचारी सेवक द्वारा व्यक्त किये गये तर्क के आधार पर प्रत्येक आरोप पदों के संबंध में परीक्षण किया गया। तदनुसार प्रत्येक आरोप के संबंध में पदवार विवरण निम्नानुसार है –

(1) आरोप कमांक–1

अपचारी सेवक श्री कैलाश बाबू, वर्मा, पर आरोप कमांक–1 यह है कि जिला शाजापुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जनवरी 2017 की अवधि में ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी के पद पर रहने के दौरान कलेक्टर जिला शाजापुर के पत्र कमांक 77 दिनांक 22–02–2017 संचालनालय की ओर प्रेषित पत्र अनुसार आपके द्वारा दिनांक 28–03–2015 एवं दिनांक 02–07–2015 के माध्यम से कुल 53 औषधि/उपकरण एवं अन्य सामग्री का क्रय किये जाने संबंधी प्रस्ताव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उन्हें गुमराह कर दिनॉक 28.03.2015 एवं दिनॉक 02.07.2015 द्वारा प्रस्तुत करते हुये जारी करवाये जबकि क्रय संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व आपको उक्त सामग्री का बजट प्राप्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य था जो कय लिपिक/स्टोर प्रभारी की हैसियत से आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया और क्रय आदेश जारी कर दिये गये।

यह कि आपके द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त क्रमशः रोल बेंडेज, मेड़िकल वेस्ट बैग, कॉटन डिलिवरी बेल्ट, हर्ब क्लीनर, डिजिटल बी.पी.इन्स्टूमेंट, वेइंग, गौज पैड एवं गौज थान एवं बेडपेन संबंधी एक ही सामग्री के क्रय आदेश भी दो से तीन दिन के अंतराल में टूकड़ो–टूकड़ो में समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिये पृथक–पृथक दिनॉकों में स्वयं को आर्थिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को गुमराह कर जारी करवाते हुये आपने मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम, वित संहिता भाग–एक के नियम, 119 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(1) आरोप कमांक–2

यह कि आपके द्वारा दिनॉक 30.05.2015 के माध्यम से आपने फिनायल गोली, टॉयलेट ब्रस एवं इन्वर्टर बेटरी इत्यादि का क्रय म.प्र. राज्य सहकारी संघ जिला इन्दौर से किये जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उन्हें गुमराह कर प्रस्तुत करते हुये क्रय आदेश उक्त दिनॉक के द्वारा जारी किये गये। किंतु क्रय

आदेश जारी होने के पश्चात् सामग्री का क्रय आपके द्वारा 15 दिवस की समयावधि में म. प्र. राज्य सहकारी संघ जिला इन्दौर से प्राप्त न करते हुये उपरोक्त सामग्री का क्रय अधिक की दरों पर श्री रासु बासू इन्टरप्राईजेस नई सड़क जिला शाजापुर से प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव/आदेश स्वयं को आर्थिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उन्हे गुमराह कर प्रस्तुत किया से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपने क्रय संबंधी प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

आधारों का विवरण–

आरोप क्रमांक 1 का विवरण–

इस आरोप के संबंध में अवचार या कदाचार का विवरण यह है कि श्री कैलाश बाबू वर्मा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर में जनवरी 2017 की अवधि में ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। पदस्थी अवधि के दौरान कलेक्टर जिला शाजापुर ने पत्र क्रमांक 77 दिनांक 22–02–2017 (परिशिष्ट–एक) संचालनालय की ओर प्रेषित करते हुए यह अवगत करवाया है कि दिनांक 01–04–2015 से जनवारी 2017 तक की अवधि का औचक निरीक्षण, उनके द्वारा गठित टीम के माध्यम से कराये जाने के पश्चात यह अवगत कराया है कि आपने दिनांक 28–03–2015, दिनांक 02–07–2015 (परिशिष्ट–दो) इस प्रकार कुल 53 औषधि/उपकरण एवं अन्य सामग्री के क्रय आदेश पर्याप्त मात्रा में सामग्रियों के क्रय हेतु बजट उपलब्ध न होने के बावजूद आपके द्वारा पृथक पृथक दिनांकों में सामग्रियों का क्रय, बजट प्राप्त होने की प्रत्याक्षा में जारी करवाये जाने संबंधी प्रास्ताव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उनको गुमराह कर प्रस्तुत किया गया। जबकि सामग्रियों के क्रय आदेश जारी करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना था जो आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया ओर क्रय आदेश जारी कर दिये के अतिरिक्त आपके द्वारा एक ही समग्री जिसका विवरण निम्नानुसार है–

कमांक	सामग्री का नाम	आदेश क्रमांक एवं आदेश दिनांक	कय मूल्य
1	रोल बेंडेज	4969/01–04–2015, 4970/04–04–2015, 4977/06–04–2015, 4978/06–04–2015 चार क्रय आदेश	19,06,000/–

2	मेडिकल वेस्ट बेग 50 लीटर	5088 / 08–04–2015, 5133 / 09–04–2015, 5237 / 10–04–2015 तीन क्रय आदेश	15,20,720 / –
3	काटन डिलेवरी बेल्ट	5655 / 22–04–2015, 5665 / 22–04–2015, 5655 / 22–04–2015, 5655 / 22–04–2015, 5655 / 22–04–2015 पांच क्रय आदेश	6,24,720 / –
4	हर्ब क्लीन	5655 / 22–04–2015, 5655 / 22–04–2015, 5655 / 22–04–2015 तीन क्रय आदेश	9,76,140 / –
5	डिजीटल बी पी इन्स्ट्रूमेंट	5955 / 22–04–2015, 5922 / 22–04–2015, 5922 / 28–04–2015 तीन क्रय आदेश	5,43,901
6	वैइंग	6098 / 05–06–2015, 6098 / 05–04–2015, दो क्रय आदेश	7,31,880 / –
7	गेज पैड एवं गौज थान	6215 / 06–04–2016, 6232 / 07–04–2016, 6258 / 07–04–2016, 6259 / 07–04–2016 चार क्रय आदेश	20,60,038 / –

के क्रय आदेश भी आपने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को गुमराह करते हुये टुकड़ो टुकड़ो में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिये प्रथक

पर जारी कर आपने वित्तीय अनियमितता करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अपचारी सेवक का प्रतिवाद उत्तर--

आरोप क्रमांक 01 का प्रतिवाद उत्तर --

यह कि अपचारी द्वारा क्रय लिपिक/स्टोर प्रभारी की हेसियत से क्रय अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा सस्ती पर भुगतान की प्रत्याशा में क्रय आदेश जारी करने के निर्देश होने के कारण अपचारी द्वारा कार्यालय के क्रय आदेश क्रमॉक/15--16/5665 दिनॉक 22.04.2015 द्वारा श्री व्यन्कटेश फर्म जो कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति में पंजीयन होने के कारण एवं कुल आवंटन मे से तीस प्रतिशत सामग्री क्रय करने के प्रावधान होने के कारण क्रय अधिकारी से क्रय आदेश हस्ताक्षर उपरांत एक ही क्रय आदेश राशि रू. 9,86,000/-- के जारी किये गये थे, जो कि मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंशियल पावर भाग 2 म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमॉक 2008 दिनॉक 07.02.2008 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदत्त अधिकारियों के अंतर्गत क्रय आदेश तैयार किया जाकर जारी किये गये थे, किन्तु फर्म द्वारा क्रय आदेश के विरूद्ध टुकड़ी--टुकड़ी में बिल प्रस्तुत किये गये अपचारी द्वारा मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग--1 सहायक नियम 119 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है बल्कि क्रय अधिकारी के निर्देश अनुसार ही क्रय की कार्यवाही अपचारी कर्मचारी द्वारा की गई।

आरोप क्रमांक 02 का प्रतिवाद उत्तर --

यह कि अपचारी द्वारा मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय क्रमॉक/एफ/6--5/2002/11/अ/भोपाल दिनॉक 19.11.2002 के अंतर्गत भण्डार क्रय नियम 14--ई मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोगता संघ से निम्नांकित सामग्री बिना निविदा बुलाये परिशिष्ट क्रमॉक--1 एवं परिशिष्ट क्रमॉक--2 के अनुसार उनकी स्वीकृति दर अनुसार क्रय आदेश मेरे द्वारा जारी किये गये थे किंतु मध्यप्रदेश राज्य उपभोता संघ इन्दौर के पत्र क्रमॉक/963/15/दिनॉक 27.09.2015 द्वारा यह अवगत कराया की कार्यालय द्वारा क्रय आदेश पुरानी दर पर जारी किये थे किन्तु उक्त पत्र द्वारा दर सूची में परिवर्तन होने के कारण नये दर से राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा देयक प्रस्तुत किये गये अवलोकन हेतु राज्य उपभोक्ता संघ का पत्र पेज क्रमॉक 1 से 11 तक संलग्न है। अपचारी द्वारा क्रय अधिकारी को कोई गुमराह नहीं किया गया और न ही नियमों का उल्लंघन किया गया है।

शासन साक्ष्य में साक्षीयो | कथन इस प्रकार है--

डॉ. अनुसूया गवली रि | , तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर
वर्तमान में उपसंचालक | स्थ सेवायें क्षेत्रिय संचालक कार्यालय उज्जैन के कथन इस
प्रकार है--

आरोप क्रमॉक --1

आरोप क्रमॉक 1 | बंध में कथन यह कि, श्री कैलाश बाबू वर्मा तत समय स्टोर कीपर के
पद पर पदस्थ है | के द्वारा कुल 53 औषधि / उपकरण एवं अन्य सामग्री का क्रय किये
जाने संबंधि प्रस्ता | स्तुत किया गया था। जो नियमानुसार क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत
किया गया था एव | स समिति की अनुसंसा के अनुसार ही क्रय आदेश जारी किये गये थे।

आरोप क्रमॉक --2

आरोप क्रमॉक 2 | संबंध में कथन यह कि, दिनॉक 30.05.2015 को फिनायल गोली,
टॉयलेट ब्रस एवं | र बैटरी इत्यादि का क्रय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ जिला इन्दौर
से किये जाने संबं | स्ताव श्री कैलाश बाबू वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अन्य किसी
भी फर्म को प्रथक | क्रय आदेश जारी नहीं किया गया। क्रय संबंधि प्रस्ताव नियामानुसार
क्रय समिति के अ | ा के अनुसार ही क्रियान्वित किये गये थे। श्री कैलाश बाबू वमा द्वारा
प्रस्तुत प्रस्ताव निय | सार थे।

डॉ. आर.बी. धाकड़, जि | कोषकीय अधिकारी जिला शाजापुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी कार्यालय जि | ाजापुर के कथन इस प्रकार है--

आरोप क्रमॉक - 1

आरोप क्रमॉक 1 के | बंध में कथन यह कि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर
द्वारा दिनॉक 28.03 | 15 एवं 02.07.2015 के माध्य से कुछ 53 औषधि उपकरण एवं अन्य
सामग्री के क्रय आ | बंजट की प्रत्याशा में जारी कराये गये है।

आरोप क्र | क 1 में अतिरिक्त रूप से बिन्दु क्रमॉक 1 लगायत 7 में उल्लेख है कि
जो मेरे जॉच प्रतिवे | में बिन्दु क्रमॉक 1 से (i) से (vi) के उल्लेखित है।

आरोप क्रमॉक --2

आरोप क्रमॉक 2 के | बंध में कथन यह कि, उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ
इन्दौर को क्रय रा | ारी करने का उल्लेख है जो मेरे जॉच प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमॉक 10

में उल्लेख है। जिसके क्रय आदेश की दर एवं देयक की दर में अंतर राशि रू 1397210/- का अंतर प्रदर्शित होता है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा कैलाश बाबू वर्मा–

प्रश्न 1– आरोप क्रमॉक 1 के संबंध मे क्या क्रय लिपिक कोई क्रय आदेश जारी करता है?

उत्तर 1– नहीं।

प्रश्न 2– आरोप क्रमॉक 2 के संबंध मे आरोपित अंतर राशि का भुगतान किया गया है?

उत्तर जॉच प्रतिवेदन का उल्लेख नहीं है।

रविन्द्र श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड–II कलेक्टर कार्यालय शाजापुर के कथन इस प्रकार है–

कलेक्टर महोदय के आदेश से मैने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय शाजापुर में अभिलेखों की जॉच के लिये मेरी ड्यूटी टी.ओ. श्री धाकड़ साहब के साथ लगाई थी। जिस पर दिनॉक 03.02.2017 के आदेश से प्रारंभ कर 21.02.2017 को पूर्ण कर जॉच रिपोर्ट दी। जिस पर हस्ताक्षर टी.ओ. साहब के साथ मेरे भी है। जॉच रिपोर्ट में मैने टी.ओ. सहाब के साथ पृष्ट क्रमॉक 3 लगायत 8 पर हस्ताक्षर कर तैयार कि है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुध संस्थित विभागीय जांच में आरोपित क्रमांक 1,2,3 के संबंध में जांच प्रतिवेदन मे उल्लेखित है।

प्रतिपरिक्षण:– कुछ नही।

विवेचन एवं निष्कर्ष –

उपरोक्त साक्षीगणों के कथन में अपचारी कर्मचारी के जवाब के आधार पर आरोप कमांक 1 प्रमाणित नही होता है। आरोप कमाक 2 में चूंकि अपचारी कर्मचारी **श्री कैलाश बाबू वर्मा, ड्रेसर, सह क्रय एवं स्टोर प्रभारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर** द्वारा नोट शीट में स्पष्ट टीप अंकित नहीं किये जाने से अंशिक रूप से प्रमाणित होता है

अतः आरोप क्रमॉक 1 प्रमाणित नहीं होता है व आरोप क्रमॉक 2 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

जॉच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित है।

30/9/19

विभागीय जांच अधिकारी
(दिनेशचन्द्र सिंघी)
सेवा निवृत्त अपर कलेक्टर, प्रवर श्रेणी

3680
07/11/19

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2002 / 2961 / 2019 / 17 / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 02 / 11 / 2019

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म.प्र. भोपाल।

विषयः–"न मांग, न घटना, न जांच" अनापत्ति प्रमाण पत्र–डॉ. अतुल खराटे (से.नि. दि. 31.08.2019) तत्कालीन अधीक्षक मनोरमा राजे क्षय चिकित्सालय इंदौर।

संदर्भः–आपकी एकल नस्ती टीप क्रमांक 3338 दिनांक 25.09.2019

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित टीप / प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अतुल खराटे (से.नि. दि. 31.08.2019) तत्कालीन अधीक्षक मनोरमा राजे क्षय चिकित्सालय इंदौर के विरूद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित / प्रचलित नहीं होने के कारण "न मांग, न घटना, न जांच" (वसूली) अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

2/ डॉ. अतुल खराटे (से.नि. दि. 31.08.2019) तत्कालीन अधीक्षक मनोरमा राजे क्षय चिकित्सालय इंदौर के विरूद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 2003 / 2961 / 2019 / 17 / मेडि–1 भोपाल, दिनांक / 11 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल म.प्र.।
3. आयुक्त, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म.प्र.।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र.।
6. उप संचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईड पर अपलोड हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला इंदौर म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इंदौर म.प्र.।
9. डॉ. अतुल खराटे (से.नि. दि. 31.08.2019) तत्कालीन अधीक्षक मनोरमा राजे क्षय चिकित्सालय इंदौर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. आदेश नस्ती

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

N. 1278
14/11/2019

AO Compliance/ 851
7/11/19